सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या–567/आठ–3–19–26 विविध/2017 टी0सी0

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
उ0प्र0 लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक : 20 जून,2019**

विषयः ईज आफ डूईंग बिजनेस के अन्तर्गत ऑनलाईन मानचित्रों की स्वीकृति हेतु ऑनलाईन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (OBPAS) को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि "ईज ऑफ डूईंग बिजनेस" के अन्तर्गत नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया को त्वरित व पारदर्शी बनाये जाने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्प है तथा इस संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर यथावश्यक दिशा निर्देश भी दिये गये हैं।

2– उक्त क्रम में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों में मानचित्र की स्वीकृति की प्रक्रिया को जन सामान्य के लिए सुविधाजनक, सरल एवं पारदर्शी बनाये जाने के उद्देश्य से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 की धारा–92(2) तथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–41(1) के अन्तर्गत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ईज आफ डूईंग बिजनेस के अन्तर्गत ऑनलाईन मानचित्रों की स्वीकृति हेतु ऑनलाईन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (OBPAS) को बोर्ड में अंगीकृत करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत करायें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या–567(1)/आठ–3–19–26 विविध/2017 टी0सी0–तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
3. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित है कि इस शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

SO-3 SYSTEM-GO-2018-19

सर्वोच्च प्राथमिकता
संख्या–567/आठ–3–19–26 विविध/2017 टी0सी0

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
उ0प्र0 लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक : 20 जून,2019**

विषयः ईज आफ डूईंग बिजनेस के अन्तर्गत ऑनलाईन मानचित्रों की स्वीकृति हेतु ऑनलाईन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (OBPAS) को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि "ईज ऑफ डूईंग बिजनेस" के अन्तर्गत नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया को त्वरित व पारदर्शी बनाये जाने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्प है तथा इस संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर यथावश्यक दिशा निर्देश भी दिये गये हैं।

2– उक्त क्रम में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों में मानचित्र की स्वीकृति की प्रक्रिया को जन सामान्य के लिए सुविधाजनक, सरल एवं पारदर्शी बनाये जाने के उद्देश्य से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 की धारा–92(2) तथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–41(1) के अन्तर्गत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ईज आफ डूईंग बिजनेस के अन्तर्गत ऑनलाईन मानचित्रों की स्वीकृति हेतु ऑनलाईन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (OBPAS) को बोर्ड में अंगीकृत करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत करायें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या–567(1)/आठ–3–19–26 विविध/2017 टी0सी0–तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
3. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित है कि इस शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
अनु सचिव।